फा.सं. 11012/17/2013-स्था.(क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

स्थापना ए-।।। डेस्क

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 03 जुलाई, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 अनुदेश समय पर आरोप पत्र जारी करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को निलंबन पर समेकित अनुदेश के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02 जनवरी, 2014 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने और यह उल्लेख करने का निदेश हुआ है कि हाल ही के मामले में अजय कुमार चौधरी बनाम भारत संघ में दिनांक16.02.2015 की सिविल अपील सं. 2015 की 1912 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निदेश दिया है:-

इसलिए हम निदेश देते हैं कि निलंबन आदेश की निरंतरता तीन माह से अधिक जारी नहीं रहनी चाहिए यदि इस अवधि के दौरान आरोपी अधिकारी/कर्मचारी को आरोप ज्ञापन/आरोप पत्र नहीं दिया जाता है।

2. यह उल्लेख किया जाता है कि बहुत से मामलों में प्रथम दृष्टया कदाचार के साक्ष्य होने पर भी इस आधार पर आरोपपत्र दायर नहीं किया जाता है कि यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसी अन्वेषण एजेंसी के अन्वेषणाधीन है। उपरोक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के इस निदेश का अधिक्रमण किया कि आपराधिक जांच लंबित होने पर विभागीय कार्यवाही स्थगित रखी जाए।

3. इस संबंध में इस विभाग के दिनांक 09.11.1982 के का.ज्ञा. सं. 35014/1/81-स्था.क की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें आरोपी अधिकारी को समय पर आरोप पत्र जारी करने के दिशा-निर्देश समाहित हैं और यह उल्लेख किया जाता है कि ये अनुदेश अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करते हैं कि जहां "विचाराधीन" अनुशासनात्मक कार्यवाही के आधार पर किसी सरकारी सेवक को निलंबित रखा जाता है उस स्थिति में मौजूदा अनुदेशों में प्रावधान है कि निलंबन की तिथि के तीन माह के भीतर सरकारी सेवक के विरूद्ध आरोप पत्र को अंतिम रूप दिए जाने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। यदि, इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए तो वो सरकारी सेवक जिसे विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही के आधार पर निलंबित रखा गया है को बिना किसी विलंब के अपने निलंबन के कारण का पता चल जाएगा। निलंबन का कारण शीघ्रातिशीघ्र संबंधित सरकारी सेवक को सूचित किया जाना चाहिए ताकि वह सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के नियम 23(i) के अधीन उसे उपलब्ध अपील करने के अधिकार का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की स्थिति में हो, यदि वह ऐसा करना चाहे। अपील करने के लिए 45 दिनों की समय-सीमा की गणना उस तिथि से की जानी चाहिए जिससे निलंबन के कारणों की सूचना दी गई हो।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों को उपरोक्त दिशा-निर्देश अनुपालनार्थ सभी संबंधित पदाधिकारियों के ध्यान में लाए जाने का अनुरोध किया जाता है।

(मुकेश चतुर्वेदी)
निदेशक (स्था.)

सेवा में

सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव

फा.सं. 11012/17/2013-स्था.(क) दिनांक 03.07.2015

प्रति अग्रेषित :

1 राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
2 उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
3 प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
4 मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
5 राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
6 महारजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली
7 रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली
8 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली
9 सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
10 सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली
11 सभी मंत्रालयों/विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारी
12 एडीजी (एम एवं सी), प्रेस सूचना ब्यूरो, डीओपीटी
13 एनआईसी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) को विभाग की वेबसाइट पर डालने के लिए